

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2776/2026

Mangnaram S/o Balwanta Ram, Aged About 70 Years, R/o Umadi
Nagar Dadu P.S. Phalodi, District Phalodi.
(Presenly Lodge In District Jail, Phalodi)

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s) : श्री मांगीलाल विश्नोई,
श्री महिपाल विश्नोई

For Respondent(s) : श्री प्रेम सिंह पंवार, लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

25/03/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत **पुलिस थाना— फलौदी, जिला— फलौदी** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या— **58/2026** अपराध अन्तर्गत धारा **8/18** स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को धारा 8/18(सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त से अवैध मादक पदार्थ अफीम के पौधे मय डोडा व फूल लगे हुए, खेती करना बताया गया है, उक्त अफीम के पौधे की कुल संख्या 25800 बरामद होना दर्शित किया गया है, जिससे धारा 37 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में एनडीपीएस एक्ट में कोई प्रकरण पंजीबद्ध होना नहीं पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त लंबे समय से अभिरक्षा में है। प्रकरण के अनुसंधान/

विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 8/18(सी) एनडीपीएस एक्ट के आक्षेपित आरोप है जिसमें धारा 37 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षात्मक अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी किये बिना यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **मंगनाराम पुत्र बलवंताराम** की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब निम्न शर्त पर जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

शर्तः—

प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्येक माह की 25 तारीख को, विचारण की समाप्ति तक, संबंधित पुलिस थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। संबंधित पुलिस थानाधिकारी को यह निर्देशित किया जाता है कि वह प्रार्थी/अभियुक्त की उपस्थिति दर्ज करते हुए नियमित रजिस्टर का संधारण करेगा एवं उक्त उपस्थिति की रिपोर्ट उसी दिन संबंधित विचारण न्यायालय को बिना किसी विलंब के प्रेषित करेगा। यदि प्रार्थी/अभियुक्त उक्त शर्त का उल्लंघन करता है, तो संबंधित लोक अभियोजक उक्त आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत

को निरस्त करने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा।

इस आदेश की एक प्रति संबंधित थानाधिकारी को सख्त अनुपालना हेतु भेजी जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

96-Dhanraj Jajoria /-